इलाहाबाद विकास प्राधिकरण
इलाहाबाद

जन सम्पर्क अधि. / प्र० अधि. ज / उपा० महोदय

कृपया सीरियल की ओर संलग्न समाचार पत्रों की कटिंग अवलोकनार्थ अग्रसारित करना चाहें

गनेश कुमार
ज. स. लिपिक
26/8/2016

कृ० अवलोकनार्थ अग्रसारित

26.8.16
PRO

माधुरी पाठक
जन सम्पर्क अधिकारी

26/08/16
सचिव/अपर सचिव
इलाहाबाद विकास प्राधिकरण

उपाध्यक्ष
इ०वि०प्रा०

अब डीएम, कमिश्नर की स्वीकृति का इंतजार

इलाहाबाद (ब्यूरो)। छोटी जमीनों पर ज्यादा निर्माण कराने के लिए एडीए से अनुमति जल्द मिलना शुरू होगी। भवन निर्माण उपविधि में शासन की ओर से किए गए संशोधन को लागू करने के लिए एडीए अब बाई सुर्कलेशन स्वीकृति ले रहा है। एडीए बोर्ड की बैठक न हो पाने के कारण यह निर्णय लिया गया है। बाई सर्कुलेशन प्रस्ताव पर एडीए बोर्ड से जुड़े सभी विभागों के अफसर, बोर्ड के सदस्यों के साथ उपाध्यक्ष एवं नगर आयुक्त के हस्ताक्षर हो गए हैं। मंगलवार को फाइल डीएम के यहां भेजी गई। वहां से इसे अंतिम स्वीकृति के लिए कमिश्नर के पास भेजा जाएगा। कमिश्नर की हरी झंडी मिलते ही नक्शों का निस्तारण शुरू होगा।

शहरों में जमीन की बेहद कमी है। विकास प्राधिकरणों के पास भी जमीन का अभाव है। इसकी वजह से कई विकास प्राधिकरणों ने भूखंडों का आवंटन तकरीबन बंद कर दिया है। इसके स्थान पर बहुमंजिला

भवन उपविधि में संशोधन के शासनादेश के बाद एडीए बाई सर्कुलेशन लागू करने की तैयारी में

आवासीय योजनाएं बनाई जा रही हैं। शहर में निजी विकासकर्ता भी बहुमंजिला अपार्टमेंट बनवा रहे हैं। अभी तक आवासीय नक्शा पास कराने में जमीन के 60 फीसदी हिस्से पर निर्माण और 40 फीसदी हिस्सा खुला छोड़ना पड़ता है, जबकि व्यावसायिक निर्माण में 40 फीसदी हिस्से पर निर्माण और 60 फीसदी हिस्सा खुला छोड़ना पड़ता है।जमीन की कमी और स्वीकृति से अधिक हिस्से पर निर्माण की समस्या को देखते हुए शासन ने भवन निर्माण उपविधि में संशोधन कर दिया है। 17 जून को जारी आदेश के तहत उपविधि में 150 वर्गमीटर जमीन पर दो यूनिट (पार्किंग समेत दो फ्लैट), 150 से 300 वर्गमीटर तक जमीन पर चार यूनिट (पार्किंग समेत चार फ्लैट) के निर्माण की अनुमति मिल सकेगी।

अमर उजाला दि 26/8/16